राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 481/85-86 198 .

यह प्रमाणित किया जाता है कि रोज पब्लिक स्कूल समिति मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर जिला जयपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक सोलह माह जनवरी सन् एक हजार नौ सौ छियासी को जयपुर में दिया गया।

(जी. एल. शर्मा)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर

रजि न० 481/85-86

रोज पब्लिक स्कूल समिति, जयपुर

संघ विधान-नियमावली

1 **संस्था का नाम** :- इस संस्था का नाम **रोज पब्लिक स्कूल समिति** जयपुर है व रहेगा

2 **संस्था का कार्यालय** :- इस संस्था का रजिस्टर्ड कार्यालय जमनापुरी, मुरलीपुरा स्कीम, रोड न0 1 वी0 के0 आई0 , जयपुर क्षेत्र है व रहेगा ।

3 **संस्था का कार्यक्षेत्र** :- इस संस्था का कार्यक्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य है व रहेगा ।

4 **संस्था का उद्देश्य** :- संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

(अ) बालकों के बौद्विक,मानसिक एवं शारीरिक विकास के द्वारा उनमें विशिष्ठ मानवता का प्रार्दुभाव पैदा कर कर्तव्यनिष्ठ व साहसी बनाना ।
(ब) शिक्षा के स्वरूप की ओर ध्यान देना ।
(स) चरित्र निर्माण एवं बालकों की जन्म जात प्रवृति को संतुलित रूप से विकसित करना ।
(द) सामाजिक , सांस्कृतिक तथा साहसिक उन्नति की ओर ध्यान देना ।
(य) खेल कूद व व्यायाम द्वारा शारिरिक विकास करना ।
(र) बुनियादी शिक्षा एवं सामान्य प्रवृतियों के प्रति सजग रहना ।
(ल) सांस्कृतिक एवं सामाजिक समारोहों का आयोजन करना ।
(व) विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना एवं प्रशिक्षण एवं शिक्षण देना ।।
(स) प्रौढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देना ।
(ह) स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार नियोजन परिवार कल्याण कार्यक्रम जैसे सामाजिक व देश-हित के विषयों का प्रचार-प्रसार करना व शिक्षा देना ।

नोट **उपरोक्त उददेश्यों की पूर्ति में समिति का कोई लाभ निहित नहीं हैं ।**

5 **सदस्यता** :- निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे :-
(क) संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करतें हों ।
(ख) बालिग हो, पागल, दीवालिया न हो ।
(ग) संस्था के हितों को सर्वोपरि व आस्था रखतें हों ।
(घ) संस्था के हितों को सर्वोपरि समझते हों ।

6 **सदस्यों का वर्गीकरण** :-
(क) आजीवन सदस्य :- (अ) संरक्षक (ब) विशिष्ठ (स) सम्मानीय
(ख) वार्षिक साधारण सदस्य :- 100रू प्रति वर्ष

7 **सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क एवं चन्दा**

(क) आजीवन सदस्य :- (अ) संरक्षक - 2100/- (ब) विशिष्ठ - 1100/- (स) सम्मानीय 500/- (द) साधारण 100/- प्रतिवर्ष
(ख) संस्था को एक समय में 2000रू या इससे अधिक तथा 1100रू प्रति वर्ष देने वाला व्यक्ति दानदाता समझा जायेगा ।

8 **सदस्यों का निष्कासन** :-

(क) मृत्यु होने पर (ख) त्याग पत्र देने पर (ग) संस्थान के उद्देश्यों के विपरित कार्य करने पर (घ) प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर ।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैद्य समझी जा सकेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा ।

9 **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य** :-

(क) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं कार्य संचालन के लिए उप समितियां व कमेटी बनाना ।
(ख) प्रबन्ध कार्यकारिणी का चुनाव करना ।
(ग) वार्षिक बजट पारित करना ।
(घ) प्रबन्ध कारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा व पुष्टि करना ।
(च) संस्थान के कुल उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन करना ।
(घ) कार्यकारिणी के निर्णय के विरूद्ध अपील की सुनवाई करना ।
(ज) ऐसे सभी विषय जिनका विधान में उल्लेख नहीं है, उन पर निर्णय लेना ।

10 **साधारण सभा की बैठकें** :-

(क) साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी ।
(ख) साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा ।
(ग) बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व आवश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी ।

11 **कार्यकारिणी का गठन** :-

संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा । जिसकी सदस्यता निम्नानुसार होगी :-

(क) निर्वाचित सदस्य
(ख) स्थायी स्टाफ में से चयनित एक शैक्षिणिक कर्मचारी
(ग) संस्था के विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों में से अभिभावक प्रतिनिधि
(घ) शिक्षा निदेशक द्वारा या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी या मनोनीत कोई शिक्षा विद्

(च) विद्यालय का पुराना प्रतिष्ठित विद्यार्थी

11-2 कार्यकारिणी में कुल मिलाकर 15 व्यक्ति होंगे
3 कार्यकारिणी में दो तिहाई सदस्य किसी भी एक धर्म,जाति या पन्थ के नही होगें। निवार्चित सदस्य 6 होंगे तथा सहवरित 4 सदस्य होगें ।

12. **कार्यकारिणी की निवार्चीत सदस्यता के लिए निवार्चित प्रकिया निम्ननानुसार होगी** :-

(क) कार्यकारिणी की निर्वाचीत अधिकारी का नाम निर्देशित किया जाएगा ।
(ख) इस मनोनयन के पश्चात कार्यकारिणी द्वारा इस निर्वाचन प्रकिया में मतदान के लिए साधारण सभा के समस्त नामों की आदि नाकिंत सूची निर्वाचीन अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी ।

(ग) यह निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन हेतु उपलब्ध कुल स्थान, निर्वाचन का स्थान, समय व तिथि का विवरण सम्मिलित करते हुए निर्वाचन के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम एक माह पुर्व निर्वाचन की सूचना की विज्ञप्ति प्रसारित करेगा ।

(घ) निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होगा ।

13. **<u>पदाधिकारियों का निर्वाचन व सदस्यों का सहवरण</u>** :-

(1) निर्वाचन के 15 दिन की अवधि में निर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों की बैठक निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें निर्वाचित सदस्य आपस में से किसी एक सदस्य को कार्यकारिणी का अध्यक्ष, किसी एक को कार्यकारिणी का सचिव एवं किसी एक सदस्य को कोषाध्यक्ष निर्वाचित करेंगे । अन्य पदाधिकारियों का मनोनयन अध्सक्ष द्वारा स्वविवेक से सचिव के परामर्श से किया जायेगा ।

(2) कार्यकारिणी के पदाधिकारी निम्न प्रकार होंगे :-
अध्यक्ष - 1, उपाध्यक्ष - 1, सचिव - 1, संयुक्त सचिव - 1, कोषाध्यक्ष - 1, सहवरित सदस्य - 4, निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्य - 6

(3) संस्था का कर्मचारी अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष नहीं होगा ।

(4) निर्वाचन के तुरन्त पश्चात कार्यकारिणी विभागीय प्रतिनिधी के नाम निर्देशन के लिए कार्यवाही करेगी ।

(5) कार्यकारिणी का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा ।

14. **<u>कार्यकारिणी की बैठकें</u>** :-

(क) वर्ष में कम से कम चार बैठक आवश्यक है । किन्हीं दो बैठकों में 6 मास से अधिक का अन्तराल नही होगा

(ख) संचालन समिति की बैठक में कोरम के लिए कुल सदस्यता में से न्यूनतम आधे सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी परन्तु उक्त उपस्थिति नहीं होने के कारण स्थगित की जायेगी । कोई बैठक ऐसे स्थान के दो दिन पश्चात पुनः आयोजित की जा सकेगी तथा ऐसी पुनः आयोजित बैठक में निर्धारित कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

(ग) अति आवश्यक होने पर कार्यकारिणी की बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी।

(15) **<u>कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के दायित्व एवं अधिकार:</u>**

(क) **अध्यक्षः**-(1) बैठकों की अध्यक्षता करना (2) मत बराबर होने पर निर्णायक मत देना (3) बैठकें आहूत करना (4) संस्था का प्रतिनिधित्व करना

(ख) **उपाध्यक्षः**-(1) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना (2) कार्यकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना

(ग) **सचिव** :-

(1) कार्यकारिणी की बैठकों का आयोजन तथा इन बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना व उसे प्रस्तुत करना।
(2) इन बैठकों से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का संधारण करना
(3) इन बैठकों में लिए गए निर्णयों और संकल्पों की क्रियान्विति सुनिश्चित करना।
(4) संस्था के निमित्त पत्र व्यवहार करना।
(5) संस्था की निधियों अभिलेखों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों का संधारण एवं प्रभार।
(6) संस्था के बैंक खातों का संधारण एवं संचालन।
(7) संस्था का आय-व्यय विवरण बजट तैयार करना व उसे संचालन कार्यकारिणी से पारित कराना तथा उसकी अनुयाप्तम सुनिश्चित करना।
(8) कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन व भत्तों का वितरण एवं उन्हें देय अन्य परिलाभों को उपलब्ध कराना।
(9) कर्मचारियों के सेवा संबधित अभिलेखों का संधारण।
(10) संस्था के समस्त कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश के अलावा अन्य प्रकार के अवकाश स्वीकृति करना तथा संस्था के प्रधान का आकस्मिक अवकाश तथा अन्य प्रकार के अवकाश स्वीकृति करना।
(11) कार्यकारिणी द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।

(12) ऐसे अन्य समस्त कर्तव्य व दायित्वों का निर्वाहन जो कार्यकारिणी के द्वारा उसे समय-समय पर सौंपें जायें

(13) नियमों के अर्न्तगत उसके लिए वर्णित विभिन्न दायित्वों का निर्वहन ।

(घ) **संयुक्त सचिव** :- (1) सचिव की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्यो का संचालन करना (2) अन्य कार्य जो प्रबन्ध कारिणी द्वारा सौंपे जावे ।

(च) **कोषाध्यक्ष** :- (1) वार्षिक लेखा-जोखा करना (2) दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना (3) चन्दा/शुल्क/अनुदान/आदि प्राप्त करना तथा रसीद देना (4) अन्य प्रदत्त कार्य करना ।

(16) **संस्था का कोष**:-

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगाः-

(1) चन्दा (2) अनुदान (3) शुल्क (4) सहायता (5) राजकीय अनुदान

उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराई जा सकेगी । अध्यक्ष/ सचिव/कोषाध्यक्ष किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन संचय हो सकेगा ।

(17) **कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार** :-

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्थान की राशी एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे ।

(1) अध्यक्ष 500/- (2) सचिव 500/-

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्ध कारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा ।

(18) **संस्थान का विधान परिवर्तन** :-

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा के अनुरूप होंगे।

(19) **संस्थान का विघटन** :-

यदि संस्थान का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल् व अचल् सम्पित्त समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तांतरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी ।

(20) **संस्थान के लेखे-जोखों का निरीक्षण** :-

रजिस्ट्रार संस्थाऐं राजस्थान, जयपुर को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी

प्रमाणित किया जाता हैकि उक्त विधान नियमावली रोज पब्लिक स्कूल समिति,जयपुर की सही व प्रमाणित प्रतिलिपि है।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

रजि. न.– 481/85–86

रोज पब्लिक स्कूल समिति
जमुनापुरी, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर

तुलनात्मक संशोधित विधान

क्र. स.	विधान की धारा	धारा का शीर्षक	पूर्व में रजिस्टर्ड विधान में उल्लेख	संशोधित विधान में उल्लेख
1.	03	संस्था के उद्देश्य	पूर्व में रजिस्टर्ड विधान में क्र. स. 1 से 10 तक लिखित	पूर्व में रजिस्टर्ड विधान में क्र. सं. 1 से 10 तक यथावत एवं इसके अतिरिक्त
				11. भारतीय कला एवं संस्कृति, भारतीय प्रादेशिक भाषाओं, राष्ट्रीय भाषा हिन्दी, अग्रेंजी, संस्कृत आदि के प्रचार प्रसार हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, कौचिंग सेन्टर, विधि, तकनीकि, बी.एड., व्यवसायिक एवं प्रबन्धन सम्बन्धी शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना एवं उनका संचालन करना।
				12. पर्यावरण सुधार, वन विकास, वन्य जीव, पशु संरक्षण आदि गतिविधियों को बढावा देना तथा चिकित्सा व स्वास्थय सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन करते हुए निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना।
				13. युवाओं में खेल–कूद की भावना जागृत करते हुए एवं केन्द्र व राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना।
				14. कम्प्युटर शिक्षा, तकनीकि, मेडिकल, इंजिनियरिंग शिक्षा प्रदान करना तथा अन्य आधुनिक उपकरणो द्वारा लोगो को शिक्षित करते हुए जाग्रति पैदा करना तथा इस से संबधित जानकारी देना।
				15. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए सामाजिक सस्थाओं, राज्य, केन्द्रीय सरकार, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता, दान, चन्दा, ऋण आदि के द्वारा धन प्राप्त करना।

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
रोज पब्लिक स्कूल समिति	रोज पब्लिक स्कूल समिति	रोज पब्लिक स्कूल समिति

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

कार्यकारिणी की सूची / EXECUTIVE COMMITTEE LIST

पं. संख्या / **REG. NO.- 481/85-86** दिनांक / DATE- 29-11-2022

ROSE PUBLIC SCHOOL SAMITI MURLIPURA SCHEME जिला **जयपुर** राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। इस संस्था की परिवर्तित कार्यकारिणी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा– 4 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसे संस्था के रिकॉर्ड मे संधारित किया जाता है।

ROSE PUBLIC SCHOOL SAMITI MURLIPURA SCHEME DISTRICT **Jaipur** IS A REGISTERED INSTITUTION UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NUMBER 28, 1958) . THE CHANGED EXECUTIVE COMMITTEE OF THE INSTITUTION IS SUBMITTEED BEFORE THE UNDERSIGNED UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958

SECTION- 4 (1) WHICH IS FILED IN THE SOCIETY'S RECORD.

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
1		Aditya Singh Rose	MALE	Member		13/05/1992
2		Alok Pachera	MALE	VICE SECRETARY		25/07/1985
3		Anita Devi	FEMALE	Member		01/01/1981
4		Beena Pareek	FEMALE	Member		30/03/1960
5		Dhirendra Singh	MALE	TREASURER		01/07/1954

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2022.11.29 21:18:54 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
6		Durga Kanwar	FEMALE	Member		29/09/1971
7		Girija Sharma	FEMALE	Member		18/02/1968
8		Lekhraj Singh Mitharwal	MALE	VICE PRWSIDENT		03/07/1968
9		Madhuri Rose	FEMALE	SECRETARY		20/12/1958
10		Munni Devi Sharma	FEMALE	Member		04/07/1960
11		Neelam	FEMALE	Member		12/10/1994
12		Neetu Verma	FEMALE	Member		15/07/1975
13		Sampat Lal Kherwa	MALE	Member		15/05/1967
14		Sardar Singh	MALE	PRESIDENT		01/01/1947
15		Vipulika Kherwa	FEMALE	Member		19/02/1995

नोट– इसे रजिस्ट्रार द्वारा शासी निकाय / GOVERNING BODY की वैधानिकता का अनुमोदन नहीं माना जावे ।

Signature valid

Digitally signed by Ami[illegible]abh Diwaker
Designation : REGIS[illegible]RAR
Date: 2022.1[illegible].29 2[illegible]:18:54 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur